शुद्धि पत्र

संख्या-25/2017/875/78-1-2017-55आई0टी0/2015

प्रेषक,

हरी राम,
अनु सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 04 अक्टूबर, 2017

विषयः मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय, कम्प्यूटर सेल के आधुनिकीकरण (काल सेन्टर) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रू0 1.25 करोड में से रू0 55.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-769/78-1-2017-55आई0टी0/2015, दिनांक 29-08-2017 के द्वारा मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय कम्प्यूटर सेल के आधुनिकीकरण हेतु जन शिकायातों/प्रार्थना पत्रों के डिजिटाईजेशन, स्कैनिंग एवं अपलोडिंग/लिंकिंग सर्विसेज तथा काल सेन्टर सर्विसेज हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1.25 करोड में से रू0 55/- लाख (रूपये पचपन लाख मात्र) की स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्त के बिन्दु 4 एवं 6 में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2016-17 त्रुटिवश अंकित हो गया है।

उक्त शासनादेश में बिन्दु 4 एवं 6 में उल्लिखित शर्तो में वित्तीय वर्ष 2016-17 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2017-18 पढा जाय।

उक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(हरी राम)
अनु सचिव।

संख्या-25/2017/875(1)/78-1-2017 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, प्लान फाइनेंस-1 डिवीजन व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2
13- मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।